संख्या : सा-3-712/दस-2001-305(4)/2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2001

विषय : सेवानैवृत्तिक लाभों का समय से भुगतान न्यायिक / विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार अपने पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों एवं यथा अनुमन्य देयों को समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत आदेश निर्गत करती रही है । ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि को समय से भुगतान न होने पर ब्याज दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है तथा समय से भुगतान न करने के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही एवं ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के भी आदेश निर्गत किए गए हैं । इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या - सा-3-684/दस-971/80, दिनांक - 29-04-1983, शासनादेश संख्या - सा-3-1776/दस-971/80, दिनांक - 30-11-1984, शासनादेश संख्या - सा-3-2102/दस-971/80, दिनांक - 06-12-1994 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - सा-3-902/दस-99-303/99, दिनांक - 28-09-1999 भी निर्गत किए गए है । विभिन्न विभागों से इस आशय की जिज्ञासा की जा रही है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक / विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब होता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा । इस सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :-

1 यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है, तो उसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं । ऐसे प्रकरणों में, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं । जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतया दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्तिकी तिथि से ग्रेच्युटी की अनुमन्यता मानी जाएगी और ऐसे तीन माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु अनुमन्य हो जाएगा । परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय / न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है, उन प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा ।

2 उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णित नहीं हो सके हैं, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउदघाटित नहीं किया जाएगा ।

3 सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस ओर समय-समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं । सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली वर्ष 1995 निर्गत की जा चुकी है । उक्त नियमावली में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारिणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जाए तथा यदि पेंशन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उनमें अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जाए । यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को

संख्या : सा-3-712/दस-2001-305(4)/2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2001

विषय : सेवानैवृत्तिक लाभों का समय से भुगतान न्यायिक / विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार अपने पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों एवं यथा अनुमन्य देयों को समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत आदेश निर्गत करती रही है । ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि को समय से भुगतान न होने पर ब्याज दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है तथा समय से भुगतान न करने के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही एवं ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के भी आदेश निर्गत किए गए हैं । इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या - सा-3-684/दस-971/80, दिनांक - 29-04-1983, शासनादेश संख्या - सा-3-1776/दस-971/80, दिनांक - 30-11-1984, शासनादेश संख्या - सा-3-2102/दस-971/80, दिनांक - 06-12-1994 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - सा-3-902/दस-99-303/99, दिनांक - 28-09-1999 भी निर्गत किए गए है । विभिन्न विभागों से इस आशय की जिज्ञासा की जा रही है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक / विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब होता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा । इस सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :-

1 यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है, तो उसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं । ऐसे प्रकरणों में, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं । जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतया दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्तिकी तिथि से ग्रेच्युटी की अनुमन्यता मानी जाएगी और ऐसे तीन माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु अनुमन्य हो जाएगा । परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय / न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है, उन प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा ।

2 उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णित नहीं हो सके हैं, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउदघाटित नहीं किया जाएगा ।

3 सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस ओर समय-समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं । सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली वर्ष 1995 निर्गत की जा चुकी है । उक्त नियमावली में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारिणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जाए तथा यदि पेंशन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उनमें अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जाए । यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को

निर्गत नहीं हो सकें हैं तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो सकने के कारणों सहित, उच्चतर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा जो पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेगें ।

4 यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्युटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा । यदि यह निर्णित हो जाता है कि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाए और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए । ऐसा करने से ब्याज के मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी । परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जहाँ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो । ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा । जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उसके वेतन के अनुपात में की जाए ।

5 प्रायः सेवानिवृत्त कार्मिक उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स के अधीन अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर भी ब्याज की मांग करते हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि पेंशन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पूर्ण पेंशन का भुगतान होता रहता है तथा भुगतान की तिथि के उपरान्त ही पेंशन कम होती है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध विभागीय / न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेंशन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा ।

अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव ।

संख्या : सा-3-712(1)/दस-305(4)/2000, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2 निदेशक पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद ।
4 समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
6 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
8 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9 विधान सभा सचिवालय / विधान परिषद् सचिवालय ।
10 राज्यपाल सचिवालय ।
11 निदेशक वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,
(विजय कुमार शर्मा)
सचिव, वित्त ।

जी०एस०यू०पी०—ए०पी० 20 सा० वित्त—22-5-2001—(314)—2001—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)